न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-46/2008

1- मालसिंह पुत्र सम्मानसिंह
2- मदनसिंह पुत्र सम्मानसिंह
3-किशोरसिंह पुत्र सुमेरसिंह
4- बजरंगसिंह पुत्र सुमेरसिंह
5- जितेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह
6- राजेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह
7- बजरंगसिंह पुत्र सज्जनसिंह

जाति राजपूत निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- कुरड़ाराम पुत्र छोटूराम
2-लाडूडीदेवी बेवा छोटूराम

जाति जाट निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3-उप पंजीयक एवं उप तहसीलदार पलसाना ।

4-तहसीलदार दांतारामगढ ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-2-2008 द्वारा सहायक कलेक्टर सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री पोकरमल चौधरी एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री बजरंगलाल शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 14-3-2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्टस् ने अदालत मातहत में दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, उद्घोषणार्थ एवं रेकार्ड दुरूस्ती को पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 735 रकबा 0.57 हैक्टर, ख0नं0 736 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 0.77 हैक्टर जिसके पुराने ख0नं0 215 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा ग्राम पलसाना वादीगण की पैत्रिक भूमिया हैं। जिनको पहले वादीगण के पूर्वज तथा अब वादीगण काबिज काश्तकार दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव आने के पूर्व से जागीरदार प्रथा रिज्यूम होने के पूर्व से काबिज चले आ रहे है ।उक्त आराजी के वर्तमान ख0नं0 734, 740, 1648, 1649, 1673, 1675 है जिसकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त वादी सं0-1 व 2 के हक में है तथा ख0नं0 731/4604, 737, 738 की खातेदारी वादी सं0-3 से 7 के हक में है और इन्ही का कब्जा है। उक्त आराजियों के मध्य में ख0नं0 735 व 736 स्थित है जिसका हिस्सा दलाऊ हिस्सा था । जिसमें वादीगण के उक्त खेतों का पानी इक्कठा होता था जिसको वादीगण के पशु पानी पीने के काम में लेते आ रहे ।इस कारण ख0नं0 735 व 736 की भूमि ने एक तलाई का रूप ले लिया । जो सार्वजनिक काम में कभी नहीं आई । इस ख0नं0 के पुराने ख0नं0 215 है जिसका सम्वत 2009 से वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है । किन्तु ख0नं0 735 व 736 की खातेदारी सहवन से सरकार के नाम दर्ज हो गई तथा उसी कारण यह आराजी प्रतिवादीगण के पिता छोटू के नाम दर्ज हो गई ।छोटूराम के नाम जिस अलोटमेन्ट के नाम से यह आराजी चली आ रही है वह अलोटमेन्ट काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला ।अलॉटमेन्ट की नकल मिल जायेगी तो उसके विरूद्ध 14½4½ की अपील पेश की जावेगी। इस आराजी का कब्जा वादीगण का है ।प्रतिवादीगण ने कुछ समय पूर्व प्रार्थना पत्र पेश कर कब्जा लेने का निवेदन किया तथा वादीगण को इस आराजी से बेदखल करने की धमकी दी । जिस पर यह दावा पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अपना आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट का कब्जा माना है । इसके बाद भी अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 द्वारा उक्त आराजी पर अपना कब्जा नहीं बताया तथा कब्जा अपीलान्ट का ही स्वीकार किया है ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर भी कोई गौर नहीं किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के खाते में आंवटन के द्वारा आई है और उक्त आंवटन स्वतः ही विधि विरूद्ध किया गया था कि विवादित आराजी कभी भी सरकार के कब्जे में नहीं रही है, बल्कि उक्त आराजी अपीलांटस् के कब्जा काश्त में ही रही हैं ।इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर आराजी ख0नं0 735 रकबा 0.57 हैक्टर, ख0नं0 736 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 0.77 हैक्टर का अपीलान्टस् को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2054 से 2057 में आराजी ख0नं0 735, 736 कुल किता-2 रकबा 0.77 हैक्टर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के नाम दर्ज है । प्रदर्श -2 खसरा गिरदावरी में उगमसिंह वल्द पन्नेसिंह के नाम दर्ज तथा कब्जा मदनसिंह सुमेरसिंह पि0समानसिंह के नाम दर्ज है।जिस पर नोट दर्ज है अदालमेन्ट 21-9-1971 से छोटूराम पुत्र सुखाबलाई के नाम दर्ज है । प्रदर्श-3 नकल नक्शा का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुये विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने यह तथ्य दर्ज किया कि अपीलान्ट ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुये रेस्पो0 सं0-1 व 2 की जाति बलाई(अनुसूचित जाति) के बजाय जाति जाट(ओ0बी0सी) दर्ज

कर अपील पेश की है । अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने रेस्पो0 की जाति बलाई के बजाय जाट लिखा है । जो अपीलान्ट द्वारा अपील स्वच्छ हाथों से पेश किया जाना नहीं माना जा सकता ।दूसरा यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी अलाटमेन्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पिता/पति छोटूराम को आंवटन की गई है ।कब्जा रेस्पोडेन्ट का है।इस आंवटन के बाद रेस्पोडेन्ट यदि यह कहे कि यह आराजी अपीलान्ट को दे दी जावे मेरा कब्जा नहीं है तो यह कानून के विपरित होगा क्योकि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अपीलान्ट स्वर्ण जाति के सदस्य है। जिनके यह आराजी कानूनन रेस्पोडेन्ट द्वारा यह लिख कर दिये जाने पर अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती ।तहसीलदार दांतारामगढ ने रेस्पोडेन्ट कुरडाराम द्वारा यह लिखकर दिये जाने पर की इस आराजी का कब्जा नहीं चाहिये पर दिनांक 15-3-2002 को धारा-183"बी" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज करने में कानूनी भूल की है जिसके लिये अदालत मातहत ने तहसीलदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिये लिखा है । यह अदालत मातहत का तर्क उचित एवं विधिक है ।साथ ही अनुसूचित जाति के सदस्यों को आंवटित की गई । आराजी किसी भी प्रकार से स्वर्ण जाति के सदस्यों को नहीं दी जा सकती।अदालत मातहत का यह कथन भी विधि संगत है ।जब तक आंवटन आदेश यथावत रहता है। अपीलान्ट इस दावे से इस आराजी की खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकते ।अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर सु0 सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-2-2008 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14-3-18 को सुनाया गया ।

14/3/18

(अंबरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर